

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30/6/2008


संख्या- 24-44/08-1116(2)/

स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी के अभ्यावेदन के आधार पर निम्नांकित चिकित्सको के नाम के समक्ष स्तम्भ- 5 में अंकित जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

| क्र०सं० | चिकित्सा पदाधिकारी का नाम | वर्तमान पदस्थापन जिला | गृह जिला  | नव पदस्थापन जिला |
|---------|---------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| 1       | 2                         | 3                     | 4         | 5                |
| 1       | डा० अमरेश कुमार           | वैशाली                | Patna     | सारण             |
| 2       | डा० राजेन्द्र प्रसाद सिंह | वैशाली                | Nalanda   | जहानाबाद         |
| 3       | डा० ललन कुमार             | वैशाली                | Bhagalpur | मुंगेर           |
| 4       | डा० जगदीश शर्मा           | वैशाली                | Shikhpura | नवादा            |
| 5       | डा० आदर्श कुमार           | वैशाली                | Gaya      | समस्तीपुर        |
| 6       | डा० अंजनी कुमार           | वैशाली                | Seikhpura | नालन्दा          |
| 7       | डा० विमल कुमार चौधरी      | वैशाली                | Madhubani | दरभंगा           |
| 8       | डा० उपेन्द्र प्रसाद       | वैशाली                | Patna     | मुजफ्फरपुर       |
| 9       | डा० दिलीप कुमार           | वैशाली                | Patna     | सारण             |
| 10      | डा० (मेजर) अविनाश कुमार   | वैशाली                | Katihar   | पूर्णियाँ        |
| 11      | डा० सयैद नैयर कासिम नसर   | वैशाली                | Bhagalpur | पूर्णियाँ        |
| 12      | डा० राजेन्द्र कुमार राजेश | वैशाली                | Patna     | भोजपुर           |

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओ जिलो को सौंपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।

3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर





अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्स पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।

6. चूँकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा ।

7. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2/टी- ५५/२००४- 1116 (५)

पटना, दिनांक 30.6.2004

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2,3 एवं 9/ कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव